



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05062026-273162
CG-DL-E-05062026-273162

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2713]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 2, 2026/ज्येष्ठ 12, 1948

No. 2713]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 2, 2026/JYAISTHA 12, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जून, 2026

का.आ. 2807(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि बिहार राज्य के सारण जिले में Ring Road के कि.मी. 20.46 से कि.मी. 23.5 (जिला भू अर्जन पदाधिकारी-सारण का कार्यालय सारण, छपरा) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितवद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् जिला भू अर्जन पदाधिकारी-सारण को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

बिहार राज्य के सारण जिले में Ring Road के कि.मी. 20.46 से कि.मी. 23.5 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: बिहार			जिले का नाम: सारण		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: दिघवारा					
गांव का नाम: सैदपुर दिघवारा					
1	3435	निजी	आवासीय (आवासीय)	0.0045 (हेक्टेयर)	0.0045
2	3446	निजी	आवासीय (आवासीय)	0.0056 (हेक्टेयर)	0.0056
3	3451	निजी	आवासीय (आवासीय)	0.004 (हेक्टेयर)	0.004
4	3452	निजी	आवासीय (आवासीय)	0.005 (हेक्टेयर)	0.005
5	3453	निजी	रेसिडेंशियल (आवासीय)	0.0105 (हेक्टेयर)	0.0105
6	3476	निजी	आवासीय (आवासीय)	0.008 (हेक्टेयर)	0.008
7	3477	निजी	आवासीय (आवासीय)	0.0185 (हेक्टेयर)	0.0185
8	3478	निजी	आवासीय (आवासीय)	0.002 (हेक्टेयर)	0.002
9	3479	निजी	आवासीय (आवासीय)	0.0003 (हेक्टेयर)	0.0003
10	3481	निजी	आवासीय (आवासीय)	0.0045 (हेक्टेयर)	0.0045
11	3482	निजी	आवासीय (आवासीय)	0.00125 (हेक्टेयर)	0.00125
12	3551	निजी	गैर-कृषि (गैर-कृषि)	0.005 (हेक्टेयर)	0.005
13	3552	निजी	गैर-कृषि (गैर-कृषि)	0.0175 (हेक्टेयर)	0.0175
14	3553	निजी	गैर-कृषि (गैर-कृषि)	0.008 (हेक्टेयर)	0.008
15	490	निजी	गैर-कृषि (गैर-कृषि)	0.0055 (हेक्टेयर)	0.0055
16	493	निजी	गैर-कृषि (गैर-कृषि)	0.1062 (हेक्टेयर)	0.1062
17	525	निजी	गैर-कृषि (गैर-कृषि)	0.0035 (हेक्टेयर)	0.0035
गांव का नाम: मीरपुर भुआल					
18	51	निजी	गैर-कृषि (गैर-कृषि)	0.019 (हेक्टेयर)	0.019
19	54/798	निजी	गैर-कृषि (गैर-कृषि)	0.0072 (हेक्टेयर)	0.0072
20	56	निजी	गैर-कृषि (गैर-कृषि)	0.0032 (हेक्टेयर)	0.0032

21	59	निजी	गैर-कृषि (गैर-कृषि)	0.0031 (हेक्टेयर)	0.0031
22	626	निजी	आवासीय (आवासीय)	0.04299 (हेक्टेयर)	0.04299
Total					0.28534

[फा. सं. NHAI/PIU/PATNA-2/Dighwara-Sherpur/LA/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd June, 2026

S.O. 2807(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of Ring Road in the stretch of land from Km. 20.46 to Km. 23.5 (District Land Acquisition Officer Sarans office Saran, Chappra) in the district of SARAN in the State of BIHAR, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, District Land Acquisition Officer-SARAN in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling Ring Road in the stretch of land from Ring Road (District Land Acquisition Officer Sarans office Saran, Chappra) in the district of SARAN in the State of BIHAR

State: BIHAR			District: SARAN		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Dighwara					
Village: Saidpur Dighwara					
1	3435	Private	Residential (Residential)	0.0045 (Hectare)	0.0045
2	3446	Private	Residential (Residential)	0.0056 (Hectare)	0.0056
3	3451	Private	Residential (Residential)	0.004 (Hectare)	0.004
4	3452	Private	Residential (Residential)	0.005 (Hectare)	0.005
5	3453	Private	Residential (Residential)	0.0105 (Hectare)	0.0105

6	3476	Private	Residential (Residential)	0.008 (Hectare)	0.008
7	3477	Private	Residential (Residential)	0.0185 (Hectare)	0.0185
8	3478	Private	Residential (Residential)	0.002 (Hectare)	0.002
9	3479	Private	Residential (Residential)	0.0003 (Hectare)	0.0003
10	3481	Private	Residential (Residential)	0.0045 (Hectare)	0.0045
11	3482	Private	Residential (Residential)	0.00125 (Hectare)	0.00125
12	3551	Private	Non Agriculture (Non Agriculture)	0.005 (Hectare)	0.005
13	3552	Private	Non Agriculture (Non Agriculture)	0.0175 (Hectare)	0.0175
14	3553	Private	Non Agriculture (Non Agriculture)	0.008 (Hectare)	0.008
15	490	Private	Non Agriculture (Non Agriculture)	0.0055 (Hectare)	0.0055
16	493	Private	Non Agriculture (Non Agriculture)	0.1062 (Hectare)	0.1062
17	525	Private	Non Agriculture (Non Agriculture)	0.0035 (Hectare)	0.0035
Village: Mirpur Bhual					
18	51	Private	Non Agriculture (Non Agriculture)	0.019 (Hectare)	0.019
19	54/798	Private	Non Agriculture (Non Agriculture)	0.0072 (Hectare)	0.0072
20	56	Private	Non Agriculture (Non Agriculture)	0.0032 (Hectare)	0.0032
21	59	Private	Non Agriculture (Non Agriculture)	0.0031 (Hectare)	0.0031
22	626	Private	Residential (Residential)	0.04299 (Hectare)	0.04299
Total					0.28534

[F. No. NHAI/PIU/PATNA-2/Dighwara-Sherpur/LA/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director